संख्या-419/2018/4014/22-2-2017-17(269)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 12 मई, 2018***

विषय:- जिला कारागार, कानपुर देहात में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी दुर्गा देवी पत्नी मुकुट बिहारी, निवासी जनपद-कानपुर नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-43984/प्रोबे0-5-दयायाचिका/659 दिनांक 11-12-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार महिला बन्दी दुर्गा देवी पत्नी मुकुट बिहारी, निवासी ग्राम-दुरौली, थाना-घाटमपुर, जनपद-कानपुरनगर की रहने वाली है। महिला बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर घटना दिनांक 08-12-2011 को अपने 03 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर 01 महिला व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-165/2012 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 498ए व 4-डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-08, कानपुर देहात के आदेश दिनांक 07.09.2013 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। महिला बन्दी के 03 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 29.02.2016 तक 03 वर्ष 03 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 03 वर्ष 07 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, लेकिन दयायाचिका समिति द्वारा महिला बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित महिला बन्दी दुर्गा देवी (बन्दी संख्या-151/13) पत्नी मुकुट बिहारी, निवासी जनपद-कानपुर नगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से महिला बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-419/2018/4014(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुरनगर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुरदेहात।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in